

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी :- गोपाल परिहार आर.ए.एस

राजस्व विविध प्रकरण सं. :- 33/2021

प्रार्थीगण :-

1. जगदीश पुत्र अन्नाराम जी,
2. छोटाराम पुत्र अन्नाराम

जातियान माली निवासीयान् गांव सालावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर।

बनाम्

अप्रार्थीगण :-

1. इन्द्रसिंह पुत्र पूनमचन्द जी जाति घांची
2. संतोष पत्नी इन्द्रसिंह जी, जाति घांची निवासीयान कबूतरो का चौक, जोधपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापत

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन शर्मा

अप्रार्थीगण सं. 3 की ओर से राजकीय पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम

आदेश

आदेश दिनांक 31/3/2021

प्रार्थी की ओर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत इन आधारों पर प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी की भूमि ग्राम सालावास मे खसरा नं. 50/2 रकबा 18 बीघा आयी हुई है, जो पूर्व मे कुल 20 बीघा भूमि थी जिसमे से प्रार्थीगण ने 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 1 तथा 15 बिस्वा भूमि अप्रार्थी सं. 2 को बैचान कर दी। किन्तु अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने विक्रय पत्र की भाषा का गलत फायदा उठाते हुए राजस्व कर्मचारियों की सांठ गांठ करते हुए गलत तरमीम करवा दी क्योंकि खसरा नं. 50/2 रकबा 20 बीघा भूमि मुख्य सडक सालावास बोरानाडा रोड पर लगती है उसका कुल 430 फुट सडक पर लगता है तथा प्रार्थीगण ने 25 फुट सालावास बोरानाडा सडक से लगता चौडाई मे शेष पूर्व की तरफ लम्बाई मे बैचान किया था किन्तु अप्रार्थीगण ने इसके विपरीत गलत तरमीम करवा दी। जबकि पटवारी रिपोर्ट मे मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा भी नहीं माना गया। इस तरह तरमीम चौडाई मे ज्यादा कर दी जो अशुद्ध है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थीगण अब गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थीगण को भूमि से

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

बेदखल करना चाहते हैं एवं इस कारण मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जिस कारण खसरा नं. 50/2 एवं 50/5 तथा 50/6 की गलत तरमीम को हटा कर नजरी नक्शा में वर्णितानुसार तरमीम दर्ज की जाने का आदेश फरमावे। इसके साथ एक स्थगन बाबत अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का भी प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया एवं प्रारम्भिक आपत्तियों में कहा गया कि आलौच्य तरमीम तहसीलदार महोदय के आदेश दिनांक 03.09.2019 की पालना में दर्ज की गई है एवं जब राजस्व रिकॉर्ड में अगर कोई भी इन्द्राज किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश से भरा जाता है तो सर्वप्रथम उक्त आदेश को निरस्त करवाया जाना आवश्यक है एवं तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध न्यायालय हाजा को अपील सुन सकने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसके अलावा तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2019 के विरुद्ध प्रार्थीगण द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष पूर्व में ही अपील प्रस्तुत की जा चुकी है जो अपील न्यायालय श्री अपर जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर द्वारा निरस्त की जा चुकी है। जिसके विरुद्ध प्रस्तुत द्वितीय अपील को श्रीमान् अपर सभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा भी निरस्त किया जा चुका है एवं उसके विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी याचिका को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी निरस्त करते हुए तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया है। जिन सभी तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थीगण द्वारा यह प्रार्थना पत्र बदनियतिपूर्वक प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। पदवार जवाब में अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा अभिवचन किये गये कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से खसरा नं. 50/2 रकबा 20 बीघा में से 2 बीघा भूमि सम्पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर दो अलग अलग बैचाननामों के जरिये खरीद की गई थी एवं बरवक्त खरीद से ही अप्रार्थीगण का अपनी खरीदसुदा भूमि पर कब्जा है। इस संबंध में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य पूर्व में एक बैचान इकरारनामा भी दिनांक 15.11.2007 को निष्पादित किया गया था जिसमें अप्रार्थीगण को मुख्य सालावास रोड से चिपते 100 फुट चौड़ाई की भूमि विक्रय करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जिस बाबत एक शपथ पत्र भी प्रार्थी सं. 2 द्वारा 11.02.2008 को निष्पादित कर इस तथ्य की स्वीकारोक्ति प्रदान की गई कि अप्रार्थीगण को सालावास मुख्य रोड पर 100 फुट चौड़ाई की भूमि बैचान की गई है। इसी आधार पर अप्रार्थीगण द्वारा मुख्य सालावास रोड पर 100 फुट चौड़ाई रखते हुए शेष लम्बाई में तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किये जाने पर तहसीलदार लूणी द्वारा विधिवत् रूप से दिनांक 03.09.2019 को तरमीम के बाबत आदेश पारित किया गया एवं उसी अनुरूप अप्रार्थीगण के खसरान्



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

बाबत् तरमीम नक्शे मे दर्ज की गई है। यह भी अभिवचन किये गये कि विक्रय पत्र के साथ संलग्न नक्शे को स्केल से नापने से भी यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण द्वारा 100 फुट मुख्य सालावास रोड पर चौड़ाई मे भूमि खरीद की गई थी। पटवारी द्वारा मात्र पाडौसियो के कहने पर अप्रार्थीगण का कब्जा नही होने का तथ्य सर्वथा निराधार रूप से उल्लेखित कर दिया गया है जबकि विधिनुसार भी पंजीबद्ध बैचाननामे मे उल्लेखित तथ्यो की उपधारणा की जायेगी जिसमे कब्जा अप्रार्थीगण को सुपुर्द किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अप्रार्थीगण अपनी खरीदसुदा भूमि पर बहैसियत खातेदार के काबिज है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा समस्त कार्यवाहिया विधिवत रूप से की जा रही है जिसके बाबत् अप्रार्थीगण को पूर्ण हक व अधिकार है। चूंकि तहसीलदार लूणी द्वारा तरमीम बाबत् पारित आदेश को अपीलीय न्यायालयो तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान तक ने सही मान लिया है तो ऐसी स्थिति मे अब न्यायालय हाजा को उक्त आदेश की रूह मे दर्ज की गई तरमीम को निरस्त करने का अधिकार नही है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा इस संबंध मे जवाबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गलत तरमीम को शुद्ध करने का क्षेत्राधिकार मात्र न्यायालय हाजा को ही है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय मे याचिका प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थीगण ने 25 फुट चौड़ाई की भूमि का बैचान किया था किन्तु अप्रार्थीगण के इससे ज्यादा भूमि पर कब्जा करने पर उतारू होने पर विवाद हो गया एवं अप्रार्थीगण ने सोदे को इंकारी कर भूमि का कब्जा पुनः प्रार्थी को सुपुर्द कर दिया एवं आज दिन तक प्रार्थीगण ही विवादित भूमि पर कब्जा है। कब्जे के अभाव मे तरमीम अशुद्ध है जिसको मिटाया जाना आवश्यक है। तथाकथित बैचान इकरारनामा तथा शपथ पत्र पूर्णतः कूटरचित एवं बनावटी एवं फर्जी है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आलौच्य अशुद्ध तरमीम को शुद्ध किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र भी इस आशय का पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया कि अप्रार्थीगण द्वारा बताये जा रहे बैचान इकरारनामा तथा शपथ पत्र पूर्णतया कूटरचित एवं फर्जी है जिस बाबत् प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करना चाहते है जबकि उक्त मूल दस्तावेज अप्रार्थीगण के कब्जे मे है। ऐसी स्थिति मे उक्त मूल दस्तावेज अप्रार्थीगण से तलब करवाये जावे ताकि प्रार्थीगण उसकी सत्यापित नकल लेकर उचित कार्यवाही अमल मे ला सके। जिस प्रार्थना पत्र का अप्रार्थीगण द्वारा जवाब नही दिया जाकर सीधे ही बहस का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की सर्वप्रथम दस्तावेज तलब किये जाने के प्रार्थना पत्र पर तथा उसके पश्चात् स्थगन प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीगण के मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू राजस्व अधिनियम पर बहस सुनी गई। जिन सभी का निस्तारण समान तथ्य होने के कारण एक ही साथ किया जा रहा है।

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में उल्लेखित बैचान इकरारनामा तथा छोटुराम के शपथ पत्र के मूल दस्तावेज तलब किये जाने हेतु निवेदन किया गया कि उक्त दस्तावेज फर्जी तथा कूटरचित है जो मूल अप्रार्थीगण के पास है जिन्हें तलब किये जाने पर प्रार्थीगण उसकी सत्यापित नकल प्राप्त कर उनके विरुद्ध फौजदारी कार्यवाही अमल में लाना चाहते हैं। इसके विपरीत अप्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि उक्त कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिंग है जिसमें किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं होनी है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में मूल दस्तावेज तलब नहीं किये जा सकते हैं। इसके अलावा फौजदारी कार्यवाही हेतु प्रार्थीगण को शुरू से इन बैचान इकरारनामा तथा शपथ पत्र की जानकारी रही है किन्तु जानबूझ कर आज तक उनके द्वारा इस बाबत कोई कार्यवाही नहीं की जाना यह दर्शाता है कि वह इन दस्तावेज को स्वीकार कर चुके हैं। फौजदारी कार्यवाही पूर्णतः भिन्न कार्यवाही है जिसके अन्तर्गत थानाधिकारी को मूल दस्तावेज तलब करने के अधिकार प्राप्त हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी। यह स्वीकृत तथ्य है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष 131 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं ली जानी है। ऐसी स्थिति में पक्षकारान् के किसी भी मूल दस्तावेजात् को न्यायालय में तलब किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक दस्तावेजात् के फर्जी एवं कूटरचित होने का प्रश्न है उसके बाबत प्रार्थीगण सक्षम अधिकारी के समक्ष एफ.आई.आर. करने हेतु स्वतंत्र है जिसमें थानाधिकारी को मूल दस्तावेज तलब करने की शक्तियां विद्यमान हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भूराजस्व अधिनियम एवं उसके साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनो को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया गया कि उनके द्वारा अप्रार्थीगण को मुख्य सालावास रोड पर 25 फुट चौड़ाई एवं शेष लम्बाई की कुल 2 बीघा भूमि का बैचान किया गया था किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा गलत तरीके से राजस्व कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ करते हुए मुख्य सालावास रोड पर 100 फुट चौड़ाई दर्शाते हुए एवं शेष लम्बाई दर्शाते हुए राजस्व रेकॉर्ड में तरमीम दर्ज करवा ली गई है जो अशुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणा



है। तरमीम बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट उल्लेखित किया हुआ है कि मौके पर अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है एवं तरमीम किये जाने पर विवाद की संभावना है। इसके बावजूद तहसीलदार लूणी द्वारा पटवारी रिपोर्ट के विरुद्ध जाते हुए बिना कब्जे के आधार पर आलौच्य तरमीम दर्ज किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया एवं इस तरह आलौच्य तरमीम पूर्णतः अशुद्ध रूप से दर्ज की गई है जिसे शुद्ध किया जाना आवश्यक है। जो बैचान इकरारनामा अप्रार्थीगण द्वारा दर्शाया गया है उसमें काफी कांट छांट है एवं 100 फुट चौड़ाई बाबत इबारत भी बाद में कूटरचना करके जोड़ी गयी है। प्रार्थी छोटुराम का शपथ पत्र भी सर्वथा फर्जी प्रस्तुत किया गया है जबकि छोटुराम द्वारा कोई शपथ पत्र निष्पादित नहीं किया गया। यह भी बहस में कथन किया गया कि उक्त शपथ पत्र किसी भी न्यायालय अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी छोटुराम द्वारा न्यायालय के समक्ष दौराने बहस अपना शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में उक्त शपथ पत्र की कोई महत्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर सीमा बाबत विवाद किये जाने पर उनके द्वारा सौदा निरस्त किया जाकर कब्जा प्रार्थीगण को सुपुर्द कर दिया गया एवं वर्तमान में भी भूमि पर कब्जा प्रार्थीगण का ही है। किन्तु अप्रार्थीगण उक्त गलत तरमीम के आधार पर पुलिस बल का गलत सहारा लेते हुए मनमानी तौर पर दिनांक 05.02.2021 का आदेश बनवा दिया है एवं मौके पर आकर प्रार्थीगण को बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं।

अप्रार्थीगण ने अपने जवाब को दोहराते हुए मौखिक बहस में कथन किया है कि प्रार्थीगण न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नहीं आये हैं। उनके द्वारा पूर्व में ही तहसीलदार लूणी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.09.2019 के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में चाराजोही कर ली गई है एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान तक द्वारा भी तहसीलदार लूणी के उक्त आदेश को यथावत रखा गया है एवं ऐसे आदेश के आधार पर दर्ज तरमीम को अब इस प्रार्थना पत्र के जरिये चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के हक में निष्पादित बैचान इकरारनामे तथा बैचान के साथ संलग्न नक्शे एवं छोटुराम के द्वारा निष्पादित शपथ पत्र से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण से मुख्य सालावास रोड पर 100 फुट चौड़ाई की भूमि को खरीद किया गया था एवं उसी अनुरूप कब्जा भी प्राप्त किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात् के आधार पर तहसीलदार लूणी द्वारा राजस्व नक्शे में विधिवत् रूप से तरमीम दर्ज की गई है जो कत्तई अशुद्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा आज से पहले किसी भी न्यायालय में मुख्य रोड पर 25 फुट चौड़ाई की भूमि दिया जाना कथन नहीं किया गया है। मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

करने की नियत से माननीय राजस्व मण्डल से भी निर्णय विपरीत होने के पश्चात् यह झूठे एवं मिथ्या तथ्यों के आधार पर समस्त तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो काबिले निरस्त है। मौके पर बैचाननामे में वर्णितानुसार भी अप्रार्थीगण का कब्जा सिद्ध है। पटवारी द्वारा निराधार रूप से मौके पर अप्रार्थीगण के कब्जा नहीं होने के तथ्य अंकित किये गये हैं जिसके बावत् किस व्यक्ति द्वारा उन्हें यह बताया गया इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। छोटुराम द्वारा अब न्यायालय हाजा के समक्ष सर्वथा झूठे तथ्यों के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा कोई नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ जानबूझ कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी बहस में कहा गया कि अगर अप्रार्थीगण को 25 फुट चौड़ाई में सड़क पर भूमि दी जाती है तो लम्बाई में 2 बीघा भूमि दिये जाने पर वह लम्बाई प्रार्थीगण के खसरे के बाहर चली जायेगी। इस कारण 25 फुट चौड़ाई वाला तथ्य बिल्कुल गलत एवं निराधार रूप से प्रार्थीगण द्वारा कहा जा रहा है। प्रार्थीगण के मन में अब खोट आ गयी है इस कारण वह ऐसी निराधार कार्यवाहियां कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भारी हर्जे खर्चे सहित निरस्त फरमाया जावे।


हमने उभय पक्षकारान् की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली की अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार लूणी द्वारा अप्रार्थीगण के आवेदन पर खसरा नं. 50/5 तथा 50/6 ग्राम सालावास तहसील लूणी की तरमीम के बावत् पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त कर एवं अप्रार्थीगण से प्राप्त दस्तावेज अनुसार तरमीम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया है, जिसकी पालना में राजस्व नक्शे में आलौच्य तरमीम खसरा नं. 50/5 तथा 50/6 के बावत् दर्ज की गई। हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा है तथा इस पर प्रार्थीगण ही काबिज है। तरमीम हेतु मौके पर कब्जा कायत होना आवश्यक होता है। तरमीम दुरस्ती किया जाना का अधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है। चूंकि दोनों बेचान दस्तावेज अनुसार उत्तर में खसरा संख्या 49 लिखमाराम जी का उल्लेख बताया गया है। परन्तु खसरा नंबर 50/5 व 50/6 की तरमीम में खसरा नंबर 49 को जो बेचान दस्तावेज में उत्तर में बताया गया है। इस अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की गई है, तथा खसरा नंबर 50/2 रकबा 20 बीघा में से खसरा नंबर 50/5 रकबा 1.05 बीघा का बेचान अप्रार्थी संख्या 01 को व खसरा संख्या 50/6 रकबा 0.15 बीघा अप्रार्थी संख्या 2 को किया गया, इसमें मूल खसरा संख्या 50/2 रकबा 20 बीघा की तरमीम राजस्व नक्शे में अंकित नहीं है। इससे स्पष्ट है कि खसरा संख्या 50/5 एवं 50/6 की तरमीम रेकॉर्ड एवम विक्रय विलेख में दर्शाये गये फलान अनुसार सही होना प्रतीत नहीं होती है। इसी तरह उक्त दोनों बेचान



सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

दस्तावेजों में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है, कि उक्त बचान-100 पीट रोड पर किया गया। इन तमाम परिस्थितियों में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है, राजस्व नकशे में खसरा नंबर 50/5 व 50/6 की तरमीम निरस्त की जाती है, तथा तहसीलदार लूनी को निदेशित किया जाता है कि राजस्व नकशे में पहले नियमानुसार खसरा नंबर 50/2 रकबा 20 बीघा की तरमीम करे तत्पश्चात् विक्रय विलेख में अंकित पडोस अनुसार जांच कर खसरा नंबर 50/5 एवं 50/6 की तरमीम करे। पत्रावली फंसल शुमार होकर दफतर दाखिल हो।




(सोपान परिहार आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूनी